

जनजातीय क्षेत्रों में विकास और महिला जागरूकता

डॉ. मनोज कुमार गौतम

एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, बरकी, सेवापुरी, वाराणसी

Email: prakashanganga@gmail.com



Received 25 July 2026

Accepted 01 August 2026

Published 03 August 2026

Corresponding Author:

डॉ. मनोज कुमार गौतम

Email: prakashanganga@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.64880/ijeagr.v1i3.02>

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.

Copyright: © 2026 The Author(s).



This is an open access article under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

OPEN ACCESS

सारांश

भारत के जनजातीय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक जीवन-पद्धतियों से समृद्ध हैं। इसके बावजूद भौगोलिक दुर्गमता, आधारभूत सुविधाओं की कमी, विस्थापन, वन एवं भूमि अधिकारों से संबंधित विवाद, कमजोर बाजार पहुँच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित उपलब्धता ने इन क्षेत्रों के विकास को प्रभावित किया है। इन परिस्थितियों का प्रभाव जनजातीय महिलाओं पर अधिक जटिल रूप में पड़ता है, क्योंकि वे उत्पादन, कृषि, वनोपज-संग्रह, परिवार-देखभाल और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद संसाधनों, निर्णय-निर्माण और औपचारिक संस्थाओं तक समान पहुँच नहीं प्राप्त कर पातीं। प्रस्तुत शोध-लेख जनजातीय क्षेत्रों के विकास और महिला जागरूकता के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करता है। यह गुणात्मक, वर्णनात्मक और दस्तावेज-आधारित अध्ययन है, जिसमें जनगणना, जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्टें, पंचायती राज व्यवस्था, वन अधिकार अधिनियम, सरकारी आजीविका कार्यक्रमों और महिला स्वयं सहायता समूहों से संबंधित आधिकारिक सामग्री का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में महिला जागरूकता को केवल साक्षरता तक सीमित न मानकर स्वास्थ्य, पोषण, कानूनी अधिकार, वित्तीय समावेशन, डिजिटल क्षमता, राजनीतिक भागीदारी और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकारों की समझ से जोड़ा गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि जनजातीय महिलाओं को केवल योजनाओं की लाभार्थी बनाने से स्थायी सशक्तीकरण संभव नहीं होगा। विकास-योजनाओं की पहचान, नियोजन, क्रियान्वयन और सामाजिक लेखा-परीक्षा में उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मातृभाषा-आधारित शिक्षा, स्थानीय महिला नेतृत्व, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएँ, वनाधारित आजीविका, वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता तथा ग्रामसभा-केंद्रित प्रशासन जनजातीय क्षेत्रों के न्यायपूर्ण विकास की आधारशिला बन सकते हैं।

मुख्य शब्द: जनजातीय विकास, महिला जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, ग्रामसभा, वन अधिकार, आजीविका, सामाजिक सहभागिता।

1. प्रस्तावना

भारत की अनुसूचित जनजातियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषायी दृष्टि से अत्यंत विविध हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 10.45 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत थी। यह जनसंख्या मध्य भारत के वन क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिमी भारत, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपों और दक्षिण भारत के अनेक इलाकों में निवास करती है। अतः “जनजातीय समाज” को एक समान सामाजिक समूह के रूप में देखना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है; विभिन्न समुदायों की भाषा, अर्थव्यवस्था, पारिवारिक संरचना, परंपरा और विकास संबंधी आवश्यकता अलग-

अलग है। जनजातीय क्षेत्रों का विकास सामान्यतः सड़क, बिजली, आवास, विद्यालय, पेयजल और स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाओं के विस्तार से जोड़ा जाता है। ये सुविधाएँ निस्संदेह आवश्यक हैं, किंतु विकास का अर्थ केवल भौतिक निर्माण नहीं है। यदि किसी परियोजना से स्थानीय लोगों का भूमि, वन, जल, संस्कृति और आजीविका पर नियंत्रण कमजोर हो जाता है, तो बाहरी रूप से विकसित दिखाई देने वाला क्षेत्र सामाजिक रूप से असुरक्षित भी बन सकता है। वास्तविक विकास में आर्थिक अवसर, सांस्कृतिक सम्मान, राजनीतिक भागीदारी, पर्यावरणीय सुरक्षा और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता सम्मिलित होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में जनजातीय महिलाओं की भूमिका केंद्रीय है। महिलाएँ कृषि, बीज-संरक्षण, वनोपज-संग्रह, पशुपालन, भोजन-प्रबंधन, जल एवं ईंधन संग्रह, हस्तशिल्प और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में सक्रिय रहती हैं। इसके बावजूद उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा औपचारिक आर्थिक आँकड़ों, भूमि-अभिलेखों और संस्थागत निर्णयों में दिखाई नहीं देता। इसलिए महिला जागरूकता को जनजातीय विकास का पूरक विषय न मानकर उसकी मूल शर्त के रूप में देखना आवश्यक है।

2. जनजातीय विकास और महिला जागरूकता की अवधारणा

जनजातीय विकास का अर्थ ऐसी परिवर्तन-प्रक्रिया से है जिसमें जनजातीय समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, संचार, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की गुणवत्तापूर्ण सुविधाएँ प्राप्त हों तथा उनके संवैधानिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधन संबंधी अधिकार सुरक्षित रहें। इस विकास का उद्देश्य किसी समुदाय को उसकी पहचान से अलग करके मुख्यधारा में मिला देना नहीं, बल्कि समान अवसरों के साथ उसकी भाषा, संस्कृति और सामुदायिक संस्थाओं का संरक्षण करना होना चाहिए।

महिला जागरूकता का सामान्य अर्थ महिलाओं को उपलब्ध योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित कर दिया जाता है। वास्तव में यह इससे व्यापक प्रक्रिया है। जागरूक महिला वह है जो अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार, सुरक्षा, मतदान, ग्रामसभा, बैंकिंग, वनाधिकार और आजीविका संबंधी अधिकारों को समझती हो; उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर सके; प्रश्न पूछ सके; संस्थाओं के सामने अपनी बात रख सके और सामूहिक निर्णय में भाग ले सके। जागरूकता और सशक्तीकरण में अंतर भी समझना आवश्यक है। जानकारी प्राप्त कर लेना जागरूकता का प्रारंभ है, जबकि उस जानकारी का उपयोग करके निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता सशक्तीकरण है। उदाहरण के लिए, महिला को यह जानकारी हो सकती है कि ग्रामसभा में उसकी भागीदारी का अधिकार है; लेकिन बैठक का समय अनुपयुक्त हो, भाषा समझ में न आए अथवा परिवार और अधिकारियों का दबाव हो तो वह अपनी बात नहीं रख पाएगी। अतः जागरूकता के साथ संस्थागत अवसर और सामाजिक स्वीकृति भी आवश्यक हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. जनजातीय क्षेत्रों में विकास की वर्तमान अवधारणा और प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण करना।
2. जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और डिजिटल जागरूकता के महत्त्व को स्पष्ट करना।
3. महिला जागरूकता और स्थानीय विकास के बीच संबंध का अध्ययन करना।
4. जनजातीय महिलाओं से संबंधित प्रमुख संवैधानिक, कानूनी और विकासात्मक प्रावधानों की समीक्षा करना।
5. समुदाय-आधारित और महिला-नेतृत्व वाले विकास के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध-पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अध्ययन के लिए जनगणना 2011, जनजातीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकीय एवं वार्षिक सामग्री, जनजातीय समुदायों की स्थिति पर गठित उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, ग्रामीण आजीविका एवं स्वयं सहायता समूहों से संबंधित सरकारी

आँकड़ों तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की प्रकाशित सामग्री का उपयोग किया गया है। सामग्री का विषयगत विश्लेषण शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, संसाधन-अधिकार, स्थानीय शासन, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पहुँच और संस्थागत भागीदारी के आधार पर किया गया है। भारत के जनजातीय समुदायों में व्यापक विविधता होने के कारण प्रस्तुत निष्कर्षों को किसी एक समुदाय की स्थिति का सार्वभौमिक वर्णन न मानकर राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में समझा जाना चाहिए।

5. संबंधित साहित्य की समीक्षा

जनजातीय विकास पर उपलब्ध साहित्य ने लंबे समय से यह प्रश्न उठाया है कि विकास की योजनाएँ समुदायों की भागीदारी से बनती हैं या बाहरी प्रशासनिक मानकों के आधार पर उन पर लागू की जाती हैं। जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्थिति पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने भूमि और वन अधिकारों की सुरक्षा, स्थानीय स्वशासन तथा निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को लोकतांत्रिक जनजातीय विकास की आवश्यक शर्त माना। रिपोर्ट का मूल तर्क यह है कि संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार सुरक्षित किए बिना कल्याणकारी व्यवस्था स्थायी परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सकता। जनजातीय महिलाओं पर प्रकाशित अध्ययनों में यह पाया गया है कि वे उत्पादन और घरेलू अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करती हैं, लेकिन भूमि-स्वामित्व, संस्थागत ऋण, औपचारिक बाजार और प्रशासनिक निर्णयों में उनका प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित हो सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के शोध-संग्रहों में स्वास्थ्य, प्रजनन अधिकार, प्रौढ़ साक्षरता, कानूनी जानकारी, पर्यावरणीय मुद्दों और महिला नेतृत्व पर निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता रेखांकित की गई है। स्वयं सहायता समूहों के प्रभाव पर किए गए अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि सामूहिक बचत और ऋण महिलाओं की आय से अधिक उनके सार्वजनिक जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। नियमित बैठक, बैंक से संपर्क, अभिलेख-लेखन, उत्पाद-विपणन और ग्रामस्तरीय वार्ताओं के माध्यम से महिलाओं का आत्मविश्वास एवं संस्थागत संपर्क बढ़ सकता है। फिर भी केवल समूह बना देना पर्याप्त नहीं है; प्रशिक्षण, बाजार, उत्पाद की गुणवत्ता, नेतृत्व का लोकतंत्रीकरण और ऋण के उत्पादक उपयोग की व्यवस्था आवश्यक होती है।

6. जनजातीय महिलाओं की शैक्षिक स्थिति

शिक्षा महिला जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, किंतु इसे केवल विद्यालय में नामांकन से नहीं मापा जा सकता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल साक्षरता दर 59 प्रतिशत थी। पुरुष साक्षरता 68.5 प्रतिशत और महिला साक्षरता 49.4 प्रतिशत थी। इस प्रकार पुरुषों और महिलाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर विद्यमान था। दुर्गम बस्तियाँ, विद्यालय की दूरी, परिवहन का अभाव, शिक्षकों की अनुपस्थिति, घर और खेत का काम, गरीबी, शिक्षा की अपरिचित भाषा और किशोरियों की सुरक्षा संबंधी चिंता विद्यालयी निरंतरता को प्रभावित करती हैं। कई बच्चे घर में जनजातीय भाषा बोलते हैं, जबकि विद्यालय में आरंभ से ही राज्य की प्रमुख भाषा या अंग्रेजी का प्रयोग होता है। भाषा की यह दूरी विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं, बल्कि शिक्षण-पद्धति की सीमा है। जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा के लिए छात्रावास उपयोगी हो सकते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ माध्यमिक विद्यालय दूर स्थित है। सरकारी मूल्यांकन अध्ययनों में बालिका छात्रावासों को यात्रा की समस्या कम करने, उपस्थिति एवं निरंतरता बढ़ाने और लैंगिक अंतर घटाने में सहायक बताया गया है। किंतु छात्रावास की सफलता सुरक्षित वातावरण, महिला अधीक्षक, पर्याप्त भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार से नियमित संपर्क पर निर्भर करती है। महिला शिक्षा का प्रभाव अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है। शिक्षित महिला टीकाकरण, पोषण, विद्यालयी उपस्थिति, बैंकिंग और सरकारी अभिलेखों के संबंध में अधिक प्रभावी निर्णय ले सकती है। अतः किशोरियों की शिक्षा के साथ प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता, स्थानीय भाषा में कानूनी जानकारी और डिजिटल शिक्षा भी आवश्यक है।

7. स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन जागरूकता: जनजातीय महिलाओं का स्वास्थ्य उनके निवास-स्थान, भोजन, श्रम, स्वच्छ जल, परिवहन और स्वास्थ्य संस्थाओं की उपलब्धता से जुड़ा है। दूरस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। बरसात, दुर्गम मार्ग और वाहन की अनुपलब्धता प्रसव अथवा आपात स्थिति में गंभीर बाधा बन सकती है।

महिला जागरूकता में मासिक धर्म स्वास्थ्य, रक्ताल्पता, गर्भावस्था-जाँच, संस्थागत प्रसव, परिवार नियोजन, नवजात देखभाल और संक्रामक रोगों की जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए। NFHS-5 के अनुसार भारत में 15-49 आयु वर्ग की 57 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता से प्रभावित थीं और 15-19 वर्ष की 59.1 प्रतिशत किशोरियाँ रक्ताल्प थीं। ये राष्ट्रीय आँकड़े हैं, इसलिए इन्हें प्रत्येक जनजातीय समुदाय की विशिष्ट स्थिति का प्रत्यक्ष माप नहीं माना जा सकता; फिर भी वे महिला पोषण को विकास की केंद्रीय चुनौती के रूप में रेखांकित करते हैं। स्वास्थ्य जागरूकता का अर्थ पारंपरिक ज्ञान को अस्वीकार करना नहीं होना चाहिए। अनेक जनजातीय समुदायों में औषधीय पौधों, आहार और प्रसवोत्तर देखभाल से संबंधित उपयोगी अनुभव उपलब्ध हैं। इस ज्ञान का वैज्ञानिक परीक्षण, सुरक्षित दस्तावेजीकरण और समुदाय के बौद्धिक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है। साथ ही ऐसी प्रथाओं को चुनौती देना भी जरूरी है जो महिला के स्वास्थ्य, पोषण अथवा उपचार प्राप्त करने के अधिकार को हानि पहुँचाती हैं।

आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और स्थानीय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवक तभी प्रभावी हो सकती हैं जब वे स्थानीय भाषा समझें और समुदाय का विश्वास अर्जित करें। बाहरी संदेशों के बजाय स्थानीय भोजन, वनोपज और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े व्यवहारिक संवाद अधिक उपयोगी होते हैं।

8. आर्थिक भागीदारी और आजीविका

जनजातीय महिलाएँ कृषि, लघु वनोपज संग्रह, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य-प्रसंस्करण और स्थानीय बाजारों में सक्रिय रहती हैं। फिर भी उनके श्रम को कई बार पारिवारिक सहायता मान लिया जाता है और आय पर उनका स्वतंत्र नियंत्रण सीमित रहता है। वनोपज का मूल्य निर्धारण, तौल, भंडारण और बाजार-सूचना की कमी के कारण बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाती है।

वन धन विकास केंद्रों का उद्देश्य जनजातीय स्वयं सहायता समूहों को लघु वनोपज एवं अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन से जोड़ना है। दिसंबर 2025 तक 4,105 वन धन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए थे, जिनसे 12,27,231 सदस्य जुड़े थे और उनमें महिलाओं की संख्या बहुसंख्यक बताई गई थी। PM-JANMAN के अंतर्गत 539 अतिरिक्त केंद्रों से 45,924 सदस्य संबद्ध थे। ये केंद्र महिलाओं को कच्चा उत्पाद कम मूल्य पर बेचने के बजाय महुआ, शहद, इमली, लाख, मिलेट, बाँस और वनौषधि जैसे उत्पादों की छँटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और सामूहिक विपणन का अवसर दे सकते हैं। किंतु सफलता के लिए नियमित कार्यशील पूँजी, भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन, डिजिटल विपणन और स्थानीय स्तर पर पारदर्शी लेखांकन आवश्यक है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का व्यापक संस्थागत ढाँचा विकसित किया है। जुलाई 2026 तक देश में लगभग 92 लाख समूहों से 10.05 करोड़ ग्रामीण महिलाएँ जुड़ी थीं और वित्त वर्ष 2025-26 में 3.81 करोड़ सदस्यों को वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण दिए जाने की सूचना थी। ये आँकड़े सभी ग्रामीण महिलाओं के हैं, केवल जनजातीय महिलाओं के नहीं; इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में परिणामों का पृथक सामाजिक और भौगोलिक मूल्यांकन आवश्यक है।

9. कानूनी अधिकार और स्थानीय शासन

जनजातीय महिला जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भूमि, वन और ग्रामसभा से संबंधित अधिकार हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 वन-निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की मान्यता का प्रावधान करता है। अधिनियम के अनुसार विवाहित व्यक्ति के मामले में व्यक्तिगत वनाधिकार का पंजीकरण दोनों पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाना चाहिए। यह प्रावधान महिला की भूमि-सुरक्षा और पारिवारिक निर्णय-क्षमता की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996—पेसा—ग्रामसभा को परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और परंपरागत विवाद-निवारण प्रणालियों की रक्षा करने की भूमिका देता है। ग्रामसभा को विकास योजनाओं की पूर्ण स्वीकृति, लाभार्थियों की पहचान, लघु वनोपज, ग्राम-बाजार, भूमि हस्तांतरण और स्थानीय संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं।

कानून का वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब महिलाएँ बैठक की सूचना, कार्यसूची, प्रस्ताव और अभिलेख को समझ सकें। अनेक स्थानों पर महिला की उपस्थिति दर्ज हो सकती है, लेकिन चर्चा पुरुषों या अधिकारियों द्वारा नियंत्रित रहती है। इसलिए महिलाओं के लिए ग्रामसभा-पूर्व बैठकें, स्थानीय भाषा में दस्तावेज, अधिकार पुस्तिका और महिला ग्रामसभा जैसी प्रक्रियाएँ उपयोगी हो सकती हैं।

महिला प्रतिनिधि को केवल आरक्षित पद की धारक मानना भी उचित नहीं है। बजट, वनाधिकार, सामाजिक लेखा-परीक्षा, हिंसा-निवारण और योजना-निर्माण का प्रशिक्षण मिलने पर वह स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा और आजीविका से जुड़े मुद्दों को स्थानीय प्रशासन के केंद्र में ला सकती है।

10. डिजिटल और वित्तीय जागरूकता

सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, बैंकिंग, पेंशन, राशन और रोजगार की अनेक सेवाएँ डिजिटल माध्यम से संचालित हो रही हैं। इस परिवर्तन ने पारदर्शिता और सुविधा की संभावना बढ़ाई है, लेकिन दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में नेटवर्क, स्मार्टफोन, बिजली, भाषा और डिजिटल साक्षरता की बाधाएँ बनी रहती हैं। परिवार में एक मोबाइल होने पर भी उसका नियंत्रण पुरुष सदस्य के पास हो सकता है। महिला को ओटीपी, बैंक संदेश, ऑनलाइन आवेदन या डिजिटल भुगतान समझ में न आने पर वह साइबर धोखाधड़ी और आर्थिक निर्भरता का सामना कर सकती है। इसलिए डिजिटल साक्षरता को केवल ऐप चलाना सिखाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसमें गोपनीयता, पासवर्ड, फर्जी कॉल, ऋण-ऐप, बैंकिंग शिकायत, ऑनलाइन बाजार और सरकारी पोर्टल की जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए।

स्थानीय महिला “बैंक सखी”, डिजिटल सखी और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति इस दूरी को कम कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह की बैठकों को वित्तीय नियोजन, बीमा, पेंशन, ऋण के उद्देश्य और आय-व्यय लेखन के प्रशिक्षण से जोड़ा जाए तो डिजिटल सेवाएँ वास्तविक आर्थिक क्षमता में बदल सकती हैं।

11. प्रमुख सरकारी पहल और उनकी प्रासंगिकता

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान—PM-JANMAN—75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, दूरसंचार, विद्युत और स्थायी आजीविका जैसी सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाना है। धर्ती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अक्टूबर 2024 में प्रारंभ किया गया। इसमें 17 मंत्रालयों की 25 गतिविधियों के माध्यम से 30 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 63,843 जनजातीय-बहुल गाँवों में आधारभूत सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी और आजीविका संबंधी अंतर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान 549 जिलों और 2,911 विकासखंडों को समाहित करता है और इसकी पाँच वर्षीय अनुमानित लागत ₹79,156 करोड़ है। इन मिशनों की सफलता केवल निर्मित आवासों, सड़कों या केंद्रों की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी; सुविधाएँ उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बनीं या नहीं; स्वास्थ्य केंद्र कार्यशील है या नहीं; आजीविका गतिविधि से महिला की आय और नियंत्रण बढ़ा या नहीं तथा स्थानीय भाषा में शिकायत-निवारण उपलब्ध है या नहीं।

12. महिला जागरूकता की प्रमुख बाधाएँ

जनजातीय महिला जागरूकता के सामने पहली बाधा भौगोलिक दूरी है। बिखरी हुई बस्तियाँ, वन, पहाड़ी भूभाग और कमजोर परिवहन विद्यालय, अस्पताल, बैंक तथा प्रशासनिक कार्यालय तक पहुँच कठिन बनाते हैं।

दूसरी बाधा भाषायी है। योजनाओं के प्रपत्र और प्रशिक्षण सामग्री प्रायः ऐसी भाषाओं में होती हैं जिन्हें सभी महिलाएँ सहज रूप से नहीं समझतीं। मौखिक परंपरा वाले समुदायों में लिखित पत्रों की तुलना में स्थानीय गीत, चित्र, नाटक और सामुदायिक संवाद अधिक प्रभावी हो सकते हैं।

तीसरी समस्या घरेलू और उत्पादक श्रम का दोहरा भार है। दिनभर कृषि, वनोपज, पशुपालन, पानी, ईंधन और बच्चों की जिम्मेदारी निभाने वाली महिला के लिए प्रशिक्षण अथवा ग्रामसभा में निर्धारित समय पर पहुँचना कठिन हो सकता है।

चौथी बाधा संस्थागत व्यवहार है। बैंक, पुलिस, अस्पताल और प्रशासनिक कार्यालय में भाषा, दस्तावेज और सामाजिक पूर्वाग्रह महिला को हतोत्साहित कर सकते हैं। अधिकार की जानकारी होने के बाद भी अधिकारी तक पहुँच न होना जागरूकता को निष्प्रभावी बना देता है।

पाँचवीं समस्या विकास से उत्पन्न विस्थापन और संसाधनों का क्षरण है। भूमि या वन पर नियंत्रण कमजोर होने पर महिलाओं का भोजन, ईंधन, औषधि और आजीविका आधार प्रभावित होता है। नकद मुआवजा परिवार के पुरुष सदस्य को मिलने पर महिला की आर्थिक असुरक्षा बढ़ सकती है।

छठी चुनौती यह मान लेना है कि प्रत्येक जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति स्वतः समानतापूर्ण होती है। कुछ समुदायों में महिलाओं की गतिशीलता और श्रम-भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ संपत्ति, निर्णय और राजनीतिक शक्ति में पूर्ण समानता नहीं है।

13. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में महिला जागरूकता विकास का परिणाम भी है और उसका माध्यम भी। शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार की सुविधा मिलने से महिला की जानकारी बढ़ती है; दूसरी ओर जागरूक महिला इन सेवाओं की गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाती है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि आर्थिक भागीदारी अपने-आप आर्थिक सशक्तीकरण में नहीं बदलती। महिला श्रम करती हो, लेकिन उत्पाद के मूल्य, आय के उपयोग और संपत्ति पर उसका अधिकार न हो तो उसकी स्थिति में सीमित परिवर्तन आएगा। तीसरा, ग्रामसभा और स्वयं सहायता समूह महिला नेतृत्व के प्रभावी मंच बन सकते हैं, बशर्ते उनकी भागीदारी औपचारिक उपस्थिति तक सीमित न रहे। चौथा, वन और भूमि अधिकार महिला सशक्तीकरण से सीधे जुड़े हैं। संयुक्त स्वामित्व, सामुदायिक वनाधिकार और लघु वनोपज पर उचित प्रतिफल महिला की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। पाँचवाँ, एक समान राष्ट्रीय मॉडल सभी जनजातीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। नीति को समुदाय, भाषा, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय आजीविका के अनुरूप लचीला होना चाहिए।

14. सुझाव

सबसे पहले मातृभाषा एवं स्थानीय संदर्भ पर आधारित शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आरंभिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा बोलने वाले शिक्षकों और द्विभाषी सामग्री की व्यवस्था हो। किशोरियों के लिए सुरक्षित छात्रावास, परिवहन और परामर्श उपलब्ध कराया जाए।

प्रौढ़ महिलाओं के लिए कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ, जिनमें हस्ताक्षर और पठन के साथ बैंकिंग, स्वास्थ्य, ग्रामसभा, वनाधिकार, सरकारी प्रपत्र और डिजिटल सुरक्षा का प्रशिक्षण हो।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में स्थानीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति और प्रशिक्षण बढ़ाया जाए। दूरस्थ बस्तियों के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाई, प्रसव-पूर्व जाँच, आपात परिवहन और पोषण परामर्श की विश्वसनीय व्यवस्था हो।

वनोपज-आधारित महिला समूहों को केवल उत्पादन प्रशिक्षण न देकर भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, मूल्य-निर्धारण, लेखांकन और बाजार संपर्क से जोड़ा जाए। स्थानीय उत्पादों के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण भी आवश्यक है।

ग्रामसभा की सूचना स्थानीय भाषा और सुलभ माध्यम से दी जाए। बैठक का समय महिलाओं के कार्यभार को ध्यान में रखकर तय हो तथा बच्चों की देखभाल की व्यवस्था हो। महिला प्रतिनिधियों को बजट, पेसा, वन अधिकार और सामाजिक लेखा-परीक्षा का व्यावहारिक प्रशिक्षण मिले।

वनाधिकार के संयुक्त पट्टों में महिलाओं के नाम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। विधवा, अविवाहित, परित्यक्ता और महिला-प्रधान परिवारों के दावों की विशेष सहायता के लिए ग्रामस्तरीय कानूनी सहयोग केंद्र स्थापित किए जाएँ।

डिजिटल साक्षरता केंद्रों में स्थानीय भाषा और व्यावहारिक प्रशिक्षण अपनाया जाए। प्रत्येक गाँव या समूह में प्रशिक्षित महिला डिजिटल सखी अथवा बैंक सखी उपलब्ध हो, जो आवेदन, भुगतान, बैंकिंग और शिकायत प्रक्रिया में सहायता कर सके।

योजनाओं की निगरानी में लिंग-विभाजित और जनजाति-विशिष्ट आँकड़े प्रकाशित किए जाएँ। केवल लाभार्थियों की कुल संख्या के बजाय यह मापा जाए कि महिला की आय, संपत्ति, निर्णय-क्षमता, स्वास्थ्य, समय-उपयोग और सार्वजनिक भागीदारी में क्या परिवर्तन आया।

विकास-परियोजनाओं में स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सामुदायिक सहभागिता को महत्व दिया जाए। महिलाओं की सहमति और आजीविका पर प्रभाव का पृथक आकलन किए बिना भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास या संसाधन-उपयोग संबंधी निर्णय न लिए जाएँ।

15. निष्कर्ष

जनजातीय क्षेत्रों का विकास केवल आर्थिक वृद्धि या आधारभूत निर्माण का प्रश्न नहीं है। यह न्याय, अधिकार, सांस्कृतिक गरिमा, पर्यावरणीय संतुलन और लोकतांत्रिक सहभागिता की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जनजातीय महिला को निष्क्रिय लाभार्थी मानना विकास की सबसे बड़ी सीमा होगी।

महिलाएँ जनजातीय परिवार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख आधारशिला हैं। वे खाद्य-सुरक्षा, कृषि, वनोपज, जल, जैवविविधता, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक स्मृति को बनाए रखती हैं। इसलिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आय में सुधार पूरे समुदाय की विकास-क्षमता को प्रभावित करता है।

महिला जागरूकता का वास्तविक अर्थ अधिकारों की जानकारी के साथ उन्हें प्रयोग करने की शक्ति है। जब महिला ग्रामसभा में प्रश्न पूछ सकती है, अपने नाम से वनाधिकार प्राप्त करती है, बैंकिंग प्रक्रिया समझती है, स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेती है और अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारित करती है, तभी जागरूकता सशक्तीकरण में बदलती है।

जनजातीय विकास का टिकाऊ मॉडल वही होगा जो ऊपर से लागू योजनाओं के स्थान पर समुदाय की भागीदारी, स्थानीय ज्ञान और महिला नेतृत्व को केंद्र में रखे। सड़कों, विद्यालयों और अस्पतालों की आवश्यकता के साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि विकास समुदाय की भाषा, भूमि, संस्कृति और निर्णय-क्षमता को कमजोर न करे। जागरूक और संगठित जनजातीय महिलाएँ केवल अपने परिवार का भविष्य नहीं बदलतीं; वे स्थानीय लोकतंत्र और न्यायपूर्ण विकास की दिशा भी निर्धारित करती हैं।

संदर्भ सूची

- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय. (2014). *भारत में जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं शैक्षिक स्थिति पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट*
- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय. (2024). *जनजातीय कार्य मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24*
- भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय. (2025). *अनुसूचित जनजातियों का सांख्यिकीय विवरण*
- भारत सरकार. (1996). *पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996*
- भारत सरकार. (2006). *अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006*
- भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय. (2026). *दीनदयाल अंत्योदय योजना—राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति रिपोर्ट*
- भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय. (2021). *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, 2019-21*
- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त. (2011). *भारत की जनगणना 2011: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सांख्यिकीय विवरण*
- Debbarma, L., & Saha, S. (Eds.). (2017). *Empowerment of Tribal Women*. Tribal Research and Cultural Institute.
- Xaxa, V. (2008). *State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India*. Pearson Longman.

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.